

**राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढने वाली
आदिवासी बालिकाएँ को निःशुल्क यात्रा सुविधा**

1	योजना का नाम	राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढने वाली आदिवासी बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजस्थान राज्य क्षेत्र में घर से स्कूल तक आने जाने हेतु ।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष -1994
4.	लाभान्वित वर्ग	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढने वाली आदिवासी बालिकाएँ
5.	पात्रता	1. राजस्थान राज्य की मूल निवासी 2. शिक्षण संस्था (जिसमें बालिका शिक्षार्थी है) द्वारा जारी परिचय पत्र पर निगम कार्यालय से शिड्यूल iii /परिचय पत्र रियायती यात्रा के लिए अधिकृत करने के आधार पर
6.	देय सुविधाएं	राजस्थान क्षेत्र में घर से स्कूल आने -जाने हेतु निगम की साधारण/द्रुतगामी बस सेवा में निःशुल्क यात्रा सुविधा
7.	आवेदन का तरीका	शिक्षण संस्था (जिसमें बालिका शिक्षार्थी है) द्वारा जारी परिचय पत्र के साथ दो पासपोर्ट साईज की फोटो प्रस्तुत कर शिड्यूल iii /परिचय पत्र जारी करवाना ।
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	निगम के विभिन्न आगारों के क्षेत्रीय मुख्य प्रबन्धक कार्यालय
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	i. राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र ii. शिक्षण संस्था (जिसमें बालिका शिक्षार्थी है) द्वारा जारी परिचय पत्र के साथ दो पासपोर्ट साईज की फोटो
10	सम्पर्क सूत्र	निगम के विभिन्न आगारों के क्षेत्रीय मुख्य प्रबन्धक,